भारत सरकार

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 12 जनवरी, 2017

सेवा में,

श्री लाल बाबू राय ,
ग्राम नया गंज, 28 टीला, नया गंज (महनार)
थाना देसरी, ज़िला - वैशाली हाजीपुर (बिहार) ।

विषय: श्री लाल बाबू राय, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तह मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने आर.टी.आई. आवेदन संख्या शून्य दिनांक 14.11.2016 का संदर्भ लें जो कि इस विभाग के पी. डी.-II अनुभाग के पत्र संख्या 25-79 /2016 -पी.डी.-2 दिनांक 3 जनवरी, 2017 के माध्यम से हस्तांतरित किया है और पी. डी.-I/III अनुभाग मे दिनांक 6.1.2017 को प्राप्त हुआ है ।

2. जहां तक पी. डी.-I/III प्रभाग बिन्दु नं 7 के संदर्भ मे आपको यह सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग पुरुष एवं महिला अंतयोदय अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार अंतयोदय अन्न योजना परिवार 35 किलोग्राम प्रति माह की दर से खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे अंतयोदय अन्न योजना परिवार लाभार्थियो की पहचान एवं सूची तैयार करना राज्य/ संघ राज्य सरकारों का कर्तव्य हैं।

3. ऊपर दिये गए उत्तर के संबंध मे यदि कोई आपत्ति हो तो श्री डी. के. गुप्ता, निदेशक (पी. डी.) कमरा न. 275, कृषि भवन, नई दिल्ली -110001, टेलीफ़ेक्स 011-23070429 के समक्ष की जा सकती है जो कि सूचना का अधिकार अधिनायम ,2005 के प्रयोजनार्थ अपीलीय अधिकारी हैं ।

भवदीय

(आर.के.गिरधर)

अवर सचिव/के.लो.सू.अ.

प्रतिलिपि:

1. आर.टी.आई. फ़ाइल ।
2. अवर सचिव (पी. डी.II) आपके पत्र संख्या 25-79/2016-पी. डी.-II दिनांक 03.01.2017 के संदर्भ में ।